

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर



प्र०क० निगरानी

/ 2018 जिला-शहडोल

निगरानी- 3233/2018/शहडोल/भू.रा

श्यामलाल पिता धुन्नी कचेर (मृत)

वरिसान :-

- 1-गोपिका कचेर पत्नी स्व० श्यामलाल कचेर
- 2- नारेन्द्र कचेर पुत्र स्व० श्यामलाल कचेर
- 3-सुनीता कचेर पुत्री स्व० श्यामलाल कचेर
- 4-नीता कचेर पुत्री स्व० श्यामलाल कचेर
- 5-सुरेन्द्र कचेर पुत्र स्व० श्यामलाल कचेर
- 6-लखेन्द्र कचेर पुत्र स्व० श्यामलाल कचेर
- 7-सम्पतिया बेवा कुनी

8-दादूराम बैगा पिता खेकहा बैगा  
निवासीगण ग्राम खन्नोधी तहसील  
गोहपारु जिला शहडोल म० प्र०

---आवेदकगण

विरुद्ध

- 1-म० प्र० शासन द्वारा कलेक्टर महोदय  
जिला-शहडोल म० प्र०
- 2-गया प्रसाद बैगा पिता दददी वैगा
- 3-बबनू बैगा पिता बालू बैगा
- 4-कमला पिता काशीराम कचेर  
निवासीगण ग्राम खन्नोधी तहसील  
गोहपारु जिला शहडोल म० प्र०

---अनावेदकगण




भारत का राजपत्र

दिनांक 28.5.18

मा.प्र. निगरानी  
लखनऊ

कार्य पी. दिवशी  
जिस आज 28.5.18  
प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु  
दिनांक 06/06/18 नियत।

कलेक्टर जैक कोर्ट  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर



निगरानी आवेदन पत्र म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के  
अन्तर्गत विरुद्ध आदेश दिनांक 27.4.2018 पारित द्वारा कलेक्टर जिला  
शहडोल के प्रकरण कमांक 03/स्व०निगरानी/2013-14.

माननीय महोदय,

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - /R-3233/2018/शहडोल/भू.स.

जिला -

शहडोल

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/08/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...<del>लेकर</del>.....  <del>शहडोल</del> के प्रकरण क्रमांक ...<del>2/19</del>.../13-14... में पारित  आदेश दिनांक <del>17-5-18</del>... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-  राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के  फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित  संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु  <del>आयुक्त शहडोल संभाग</del> को भेजा जाता है। उभयपक्ष  प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक <del>18-10-19</del>...को  <del>आयुक्त शहडोल संभाग</del> के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	